पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 182/2024 दिनांक- 09.06.2024

प्रेस विज्ञप्ति

थाना मुबारकपुर

अवैध तमंचा - कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 09.06.2024 को उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव मय हमराह को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अवैध तमंचा - कारतूस के साथ गजहड़ा मार्ग से आ रहा है। इस सूचना पर उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव मय हमराह द्वारा दामोदरपुर अण्डर पास से अभियुक्त मोहम्मद नदीम पुत्र मोहम्मद कादिर निवासी ग्राम गजहड़ा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को समय करीब 05.30 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 226/2024 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- मोहम्मद नदीम पुत्र मोहम्मद कादिर निवासी ग्राम गजहड़ा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 226/2024 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 498/2022 धारा 379/411/414 भादवि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।
2- मु0अ0सं0 226/2024 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम– उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव, हे0का0 संदीप सिंह, का0 सर्वेश कुमार, का0 नीरज यादव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

थाना मुबारकपुर

मारपीट करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना– दिनांक 08.04.2024 को वादी मुकदमा प्रतीक सिंह पुत्र अजय सिंह निवासी ग्राम बलियाकल्यानपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि विपक्षी 1-मोसाफिर गौड़ व उनके पुत्रगण राजेश गौड़ , 2-रामकेवल, 3-सचिन, एवं परिवार की महिलाओ द्वारा वादी व उनके परिवार के लोगो को पुरानी रंजीश एवं घर के ताला तोड़ने की बात को लेकर बुरी तरह से मार-पीट कर घायल कर दिया गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 224/2024 धारा 34/308/323/325/336/504/506 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण– आज दिनांक 09.06.2024 को उ0नि0 धर्मराज यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राजेश गौड़ पुत्र मोसाफिर गौड़ निवासी ग्राम बलिया कल्यानपुर को तिराहा बलिया कल्यानपुर से समय करीब 09.30 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 बांस का डण्डा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- राजेश गौड़ पुत्र मोसाफिर गौड़ निवासी ग्राम बलिया कल्यानपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 224/2024 धारा 34/308/323/325/336/504/506 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

बरामदगी- 01 बांस का डण्डा

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम– उ0नि0 धर्मराज यादव, हे0का0 तेज बहादूर यादव, का0 आनन्द यादव, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

थाना- जीयनपुर
दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना– दिनांक 08.06.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि अभियुक्त मोहम्मद अलीम बाबा पुत्र स्व0 अरमान उर्फ उसमान निवासी गोठा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ हाल पता टडवा सर्फुद्दीनपट्टी कस्बा जीयनपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ द्वारा वादिनी मुकदमा के साथ दुष्कर्म किया गया है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-266/2024 धारा 376 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण– आज दिनांक 09.06.2024 को थानाध्यक्ष जीयनपुर विवेक कुमार पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मोहम्मद अलीम बाबा पुत्र स्व0 अरमान उर्फ उसमान निवासी गोठा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ हाल पता टडवा सर्फुद्दीनपट्टी कस्बा जीयनपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को उसके घर ग्राम टडवा से समय करीब 06:50 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- मोहम्मद अलीम बाबा पुत्र स्व0 अरमान उर्फ उसमान निवासी गोठा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ हाल पता टडवा सर्फुद्दीनपट्टी कस्बा जीयनपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 45 वर्ष

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 266/2024 धारा 376 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- थानाध्यक्ष विवेक कुमार पाण्डेय, हे0का0 राजेश कुमार, का0 अमरजीत यादव, का0 निलेश प्रताप सिंह, म0का0 पूजा यादव, म0का0 श्वेता पाण्डेय थाना जीयनपुर आजमगढ़।

थाना- कोतवाली
B.ed परीक्षा में दुसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाली अभियुक्ता गिरफ्तार

आज दिनांक 09.06.2024 को शिब्ली नेशनल कालेज, आजमगढ़ में संयुक्त प्रवेश परीक्षा (बी0एड0) 2024-26 की प्रथम पाली की परीक्षा में शिवानी पुत्री दिलीप कुमार, के स्थान पर प्रियंका पुत्री किशोर कुमार, निवासी बेलइसा जनपद आजमगढ़ परीक्षा दे रही थी। कक्ष निरीक्षक द्वारा प्रवेश- पत्र से मिलान करने पर संदिग्ध पाये जाने पर परिक्षा ड्यूटी में तैनात म0आ0 प्रतिभा चौहान से शिकायत किया गया।

➡ म0आ0 प्रतिभा चौहान द्वारा अभियुक्ता प्रियंका पुत्री किशोर कुमार की जामा तलाशी ली गयी जिसके पास से प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, 06 फोटोग्राफ बरामद हुआ। म0आ0 प्रतिभा चौहान ने अभियुक्ता को हिरासत में लेकर लिखित तहरीर के साथ थाना स्थानीय पर समय करीब 11.00 बजे सुपूर्द किया।

➡ जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 350/24 धारा 419,420,467,468,120बी भादवि0 व 6/10 उ0प्र0 परीक्षा अधिनियम पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्ता चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता- प्रियंका पुत्री किशोर कुमार निवासी बेलइसा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 350/2024 धारा 419,420,467,468,120बी भादवि, 6 /10 उ0प्र0 परीक्षा अधिनियम थाना थाना कोतवाली आजमगढ़।

बरामदगी- प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, 06 फोटोग्राफ

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम– म0आ0 प्रतिभा चौहान थाना कोतवाली आजमगढ़।